भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 305
दिनांक 10 अगस्त, 2023

बायोडीजल क्रय नीति

†*305. श्री कृष्णपालसिंह यादव:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में ईंधन के सतत स्रोत के रूप में सरकार द्वारा कार्यान्वित बायोडीजल क्रय नीति के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) बायोडीजल क्रय नीति के अंतर्गत बायोडीजल की खरीद के लिए क्या मानदण्ड और मानक निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यह नीति उत्पादन और अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में गुणवत्ता नियंत्रण और पर्यावरण संधारणीयता संबंधी मानदंडों का अनुपालन किस प्रकार सुनिश्चित करती है;

(घ) सरकार द्वारा रतनजोत (जटरोफा) और करंज (पोंगामिया) जैसी जैव ईंधन फीडस्टॉक फसलों की खेती के संबंध में किसानों और अन्य हितधारकों में जागरुकता पैदा करने और उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने और तदुपरांत बायोडीजल उत्पादन में उनके उपयोग के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ड.) बायोडीजल क्रय नीति के अंतर्गत हुई प्रगति तथा बायोडीजल उत्पादन, अधिप्राप्ति की मात्रा के सम्बन्ध में उपलब्धियां और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय संधारणीयता सम्बन्धी लक्ष्यों में इसका समग्र योगदान क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'बायोडीजल क्रय नीति' के बारे में संसद सदस्य श्री कृष्णपालसिंह यादव और डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा दिनांक 10.08.2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 305 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ड.) देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण घटकों में से एक घटक जैव ईंधनों सहित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास है। भारत में जैव डीजल सहित जैव ईंधनों का कार्यनीतिक महत्व है क्योंकि वे सरकार की मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान जैसी चल रही पहलों के अनुरूप हैं और किसानों की आय दोगुनी करने, आयात में कमी करने, रोजगार का सृजन तथा अपशिष्ट से संपदा का सृजन आदि जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ एकीकरण का शानदार अवसर प्रदान करते हैं।

जैव डीजल पर्यावरण के अनुकूल एक दीर्घकालिक ईंधन है जिसे बीआईएस मानकों के अनुसार डीजल में मिश्रित किया जा सकता है तथा इंजनों में कोई संशोधन किए बगैर ऑटोमोबाइल्स तथा अन्य अनुप्रयोगों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पीएसयू तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) ऐसे पंजीकृत विनिर्माताओं से जैव डीजल की अधिप्राप्ति करती हैं जो भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के निर्धारित मानदंड पूरा करते हैं और इस प्रकार उपयुक्त गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं। देश में जैव डीजल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 2005 में सरकार ने जैव डीजल खरीद नीति अधिसूचित की थी जो दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू है। जैव डीजल खरीद नीति के तहत जैव डीजल की अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित मानदंडों और मानकों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. जैव डीजल विनिर्माताओं द्वारा अपने जैव डीजल के नमूनों को बीआईएस के अनुसार अनुमोदित करवाना और ओएमसीज द्वारा प्रमाणित करवाना आवश्यक है। बाद में उन्हें जैव डीजल की आपू त हेतु प्राधिकृत आपू तकर्ताओं के रूप में पंजीकरण करवाना आवश्यक है।

ii. जैव डीजल विनिर्माताओं की अपनी उत्पादन क्षमता होनी चाहिए और ओएमसीज द्वारा उनकी वि सनीयता का आकलन किया जाना चाहिए।

iii. ओएमसीज द्वारा विनिर्दिष्ट खरीद केन्द्रों पर बीआईएस द्वारा निर्धारित ईंधन गुणवत्ता मानक पूरे करने वाले जैव डीजल की खरीद की जाती है।

iv. उन जैव डीजल उत्पादकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो जैव डीजल के उत्पादन हेतु फीडस्टॉक के रूप में वृक्षों से उत्प होने वाले गैर-खा तेलों (टीबीओज) का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव करेंगे।

टीबीओज का इस्तेमाल करने और बाद में उनसे जैव डीजल का उत्पादन करने में फसल के तैयार होने में लगने वाला लंबा समय, कम उत्पादन आदि जैसी चुनौतियों के कारण ओएमसीज द्वारा जैव डीजल की अधिप्राप्ति अगस्त, 2015 में शुरू की जा सकी। पीएसयू ओएमसीज द्वारा अधिप्राप्त किए गए अधिकांश जैव डीजल का उत्पादन पाम स्टीयरइन ऑयल, प्रयुक्त खाद्य तेल (यूसीओ) और बहुत कम मात्रा में टीबीओज से किया गया है।

इसके बाद सरकार ने जून, 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 (एनपीबी) अधिसूचित की थी। इस नीति में वष 2030 तक देश में डीजल में 5 प्रतिशत जैव डीजल का मिश्रण करने/जैव डीजल की सीधी बिक्री करने का निदशात्मक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

किसानों तथा अन्य पणधारकों के बीच जागरूकता लाने तथा भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. डीजल में मिश्रण के लिए ओएमसीज को आपूर्ति किए जाने वाले जैव डीजल के लिए जीएसटी दर में कमी।

ii. जैव डीजल की अधिप्राप्ति हेतु पीएसयू ओएमसीज द्वारा लाभकारी मूल्यों की पेशकश करना।

iii. प्रयुक्त खाद्य तेल का पुन: प्रयोग (आरयूसीओ) पहल की शुरूआत जिसमें जैव डीजल के उत्पादन हेतु प्रयुक्त खा तेल (यूसीओ) एकत्र करना शामिल है। इसमें इस पहल के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए रेडियो पर जिंगल्स बजाना/ि ंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करना आदि शामिल है।

iv. आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के भाग के रूप में ओएमसीज द्वारा पूरे देश में जैव डीजल सहित जैव ईंधनों के संबंध में प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।

v. रा ीय जैव ईंधन नीति में परिकल्पना की गई है कि किसानों को अपनी सीमांत भूमि पर अंतर फसल के रूप में और जहां वर्षा से संबंधित दशाओं में केवल एक ही फसल उगाई जाती है वहां दूसरी फसल के रूप में विभि किस्म के बायोमास और साथ ही तिलहनों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

vi. डीजल में एथेनॉल, मेथेनॉल, डाइ मिथाइल ईथर आदि जैसे विभिन्न जैव ईंधनों के मिश्रण के प्रभाव का वि ेषण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज द्वारा अध्ययन किए जा रहे हैं।

vii. प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस का आयोजन।

जून, 2023 तक पीएसयू ओएमसीज द्वारा अधिप्राप्त किए गए जैव डीजल के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

ओएमसीज द्वारा अधिप्राप्त किया गया जैव डीजल (करोड़ लीटर में)	
वष	अधिप्राप्त किया गया जैव डीजल
2015-16*	1.19
2016-17	3.59
2017-18	4.37
2018-19	8.22
2019-20	10.55
2020-21	0.51
2021-22	0.06
2022-23	6.05
2023-24 (अप्रैल-जून)	11.57

* ओएमसीज द्वारा जैव डीजल मिश्रित डीजल की बिक्री दिनांक 10.08.2015 से शुरू की गई है।

******